		10		गोपाल
	30/3/17		पत्रावली आज न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट हस्तेडा मे पेश हुई पक्षकार उप० है। पक्षकारो ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पक्षकारो के मध्य मूल रूप से विवाद रास्ते को लेकर है। जिस संबंध मे वादी ख०न० 324 के पश्चिमि दिशा मे रास्ता देने पर सहमत है वादी ने निवेदन किया कि उसकी हिस्से की खातेदारी ---	[illegible] ह० [illegible] ह० [illegible] ह० [illegible]

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं जिला जयपुर

नाम न्यायालय

केस संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण का नाम
		भूमि को उनकी खातेदारी में रखते हुए गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर दिया जावे जिससे हमेशा के लिए विवाद का समाधान हो जावेगा। उक्त अनुतोष पर प्रतिवादीगण ने अपनी सहमति दी है। उभयपक्षकारान का यह भी निवेदन है कि मौके पर एक बार रास्ता कायम होने के पश्चात समस्त खातेदार सहमति से तहसीलदार चौमू के समक्ष विभाजन करवाने के लिए उपस्थित हो जावेंगे। इसी शर्त के साथ वादी को वाद विड्रा करने की अनुमति दी जावे। उक्त सहमति को रिकार्ड पर लिया जाता है। मौके पर सहमति के आधार पर वादीगण के हिस्से 1/30 भूमि को ख0न0 324 के पश्चिम में गैर मुमकिन रास्ता कायम करने की अनुमति दी जाती है। जब भी समस्त पक्षकार विभाजन हेतु उपस्थित होंगे उक्त रास्ते को ध्यान में रखते हुये ही विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाये जावे। इन कारणात के साथ प्रार्थी/वादी का प्रार्थना पत्र बाबत विड्रा का स्वीकार किया जाकर वादी का वाद विड्रा किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी चौमू जिला जयपुर	[illegible] नि0अं0 [illegible] नि0अं0 प्रभाती